Central Administrative Tribunal
Lucknow Bench

Cause Title T.A. 62/92 TC of 1993

Name of the Parties Nackchhed Singh — — Applicant

Versus

D.P.S. Allahabad — — Respondents.

Part A. B. C

Sl. No.	Description of documents	Page
1.	Check List	A1 A2
2.	Order Sheet.	A3 A5
3.	Judgement dt 27/5/92	A6 A8
4.	Petition Copy	A9 A30
5.	Annexure	
6.	Power	A31
7.	Counter Affidavit.	A32 A43
8.	Rejoinder Affidavit.	A44 A46

B - File

~~B - File B47 B83~~

~~C - File C84 C88~~

Files B/C Weeded out/Destroyed

SO(J)

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ADDITIONAL BENCH,
23-A, Thornhill Road, Allahabad-211001

Registration No. 1171 of 1987

APPLICANT (s) ....

RESPONDENT(s) ....

....

Particulars to be examined	Endorsement as to result of Examination
1. Is the appeal competent ?	Yes
2. (a) Is the application in the prescribed form ?	
(b) Is the application in paper book form ?	
(c) Have six complete sets of the application been filed ?	
3 (a) Is the appeal in time ?	Yes
(b) If not, by how many days it is beyond time ?	—
(c) Has sufficient case for not making the application in time, been filed ?	—
4. Has the document of authorisation, Vakalatnama been filed ?	
5. Is the application accompanied by B. D /Postal-Order for Rs. 50/-	
6. Has the certified copy/copies of the order (s) against which the application is made been filed ?	Yes
7. (a) Have the copies of the documents/relied upon by the applicant and mentioned in the application, been filed ?	Yes
(b) Have the documents referred to in (a) above duly attested by a Gazetted Officer and numberd accordingly ?	Yes

OA 1171-87

15/12/87 Hon. S. Zaheer Hasan, VC.
Hon. Ajay Johri, AM.

Heard counsel. Admit. A copy be given to Sri K.C. Sinha who will file a reply in 2 months. R.A. in two days thereafter. DR 16.12

18/1/88 Registrar

Mr. K.C. Sinha filed reply today. Rejoinder can be filed by 9/2/88 as prayed by counsel for applicant.

Registrar

9-2-88 DR

On request of counsel for the applicant, he is allowed to file rejoinder by 1-3-88

DR(J)

1-3-88 D.R(J)

On the request counsel for applicant he is allowed to file R.A. by 29.3.88

D.R(J)

23/3/88 DR

Rejoinder not filed so far. Submitted for orders.

29.3.88 DR

Rejoinder affidavit has been filed today. List before court for hearing on 25.5.88

DR.

Order-sheet

OA No. 1171/87.

31.1.89 Hon. Justice A. Banerji, Chairman (J.)
Hon. A. Johri, A.M.

~~Ab~~ Km. S. Srivastava, who has filed her Vakalatnama on behalf of the applicant today, prays for short adjournment to enable her to prepare the case. Sri K.C. Sinha, learned counsel for the respondents, has no objection.

Let the case be listed on 2.2.89.

Sd/- A.M. Sd/- Chairman (J.)

2.2.89 No sitting Adjd to 19.4.89 for hearing.

Sd/- CO.

19.7.89. No sitting Adjd to 28.7.89 for hearing.

Sd/- CO.

28.7.89. On the request of the Parties Counsel, let this case is put up before for hearing on 9.11.89

Sd/- 28/7/89
Regr

9.11.89. No sitting Adjd to 19.1.90 for hearing.

Sd/-

19.1.90. The case is adj to 11.4.90 before DR (J) fixing a date for hearing

Sd/-
Regr

O.A. 1171/87 T.A. 62/92 (A5)

24.12.91

The case relates to territorial Jurisdication of Lucknow Bench, hence, is being transferred to Lucknow Bench vide Hon. V.C's orders dated 18.12.91.

[illegible]

[illegible] [illegible]
S.O (JA)

28.3.92
D.R.

Register the case as T.A.
This case has been received after transfer to this Bench from C.A.T. Alld.
Issue notice to both the counsels for both the parties. List this case before the Hon. Bench for hearing on 27/5/92

[signature]

Notified for 27.5.92
OR
Counsel K C Sinha
[illegible]
1/4/92

OR

Notice Issued
[signature]
01/4/92

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, CIRCUIT BENCH LUCKNOW.

...

Registration O.A. No. 1171 of 1987

Nakchhed Singh ... ... Applicant.

Versus

D.P.S. Allahabad and another ... ... Respondents.

Hon. Mr. Justice U.C. Srivastava, V.C.
Hon'ble Mr. A.B. Gorthi, Member (A)

(By Hon. Mr. Justice U.C. Srivastava, V.C.)

The applicant who was working as 'Extra Departmental Branch Post Master' Kunda Branch Post Office, District Sultanpur was dismissed from service vide order dated 31.3.1987 against which he has filed an appeal and thereafter, he approached the Tribunal challenging the said order. The dismissal order was passed after disciplinary enquiry against him in respect of forged delivery of forged delivery of Narkuldanga Insured letter No. 781 dated 20.1.1982 for Rs. 850/- to Smt. Surajkali and secondly, the non payment of Kotla power house P.O. MO No. 3265 dated 8.7.1983 for Rs. 900/Rs to Shri Badri Prasad Yadav. From the facts stated by the parties, it appear that the sub-post master Shahganj sent an insured letter from Narkutdanga post office on 20.1.1982 for delivery to the addressee. The applicant acknowledged the receipt of the insured letter and the same was shown to be delivered by the applicant on 29.1.1982 in the record The father of Smt. Surajkali lodged a complaint on 30.7.1982 when the insured letter has been received by the addressee. A complaint dated 19.8.1982 was also received from the office of the senior Superintendent of Post Offices, Calcutta regarding non-delivery of insured letter. The preliminary enquiry in the matter was made

Contd ...

and the addressee Surajkali Devi was also recorded and in which he denied to have received insured letter of 22.2.1984. He had denied to have scribed the T.I. of Suraj Kali and has also denied that the insured letter was delivered in his presence,thereafter, the applicant was charge-sheeted. Similarly, in respect of other money order which was received by the Kotla Power House Money order and the same was entered in the Branch office slip. An entry was made in the register that the payment was made on 15.7.1983, but the payee lodged a complaint that he had not received the payment. This case was also forwarded to the Sub-Divisional Inspector for the preliminary enquiry. The payee has denied to have received the said amount on 21.2.1984 and has also denied for his Thumb Impression on money order paid voucher.This was the second charge against the applicant. The learned counsel for the applicant contended that the lady herself filed an affidavit stating therein that she has received the payment, as such, there was no question of going ahead with the enquiry. The respondents have rightly pointed out that the lady was summoned during the course of enquiry but she was avoided to appear. as she was won by the at later stage. However, under applicant's presence, she did not appear as defence witness. In the last, she was produced by the state to depose the facts where, she clearly stated that the amount of insured letter was paid to her father at a very late stage. She admitted her all previous statements. and asserted that facts written therin were correct, as per her knowledge. However, she could not state the date of transfer of money to her father. She also denied to

Contd ... 3n/

the receipt of the insured letter in present of any Ram pal. So far as the money of Shri Badri Prasad Yadav is concerned, it is clearly mentioned by the remitter that the money order was payable to Shri Badri Prasad Yadav and to to Badri Prasad Bhoonj. The money order does not bear the test of the scribe that T.I obtained on money order paid voucher is of Shri Badri Prasad Bhbonj. and this was also proved. It is not the case in which there was no evidence. Even if, there was some evidence, it is not open for the Tribunal appreciate the evidence and set aside the findings of the disciplinary authority. Accordingly, there appears to be no merit in the case and the application deserves to be dismissed without any order as to costs.

Member(A)

Vice-Chairman

Dated: 27.5.1992

(n.u.)

The Central Administrative Tribunal,
Allahabad-1

O.A. Regn. No. 1171 Of 1987

Nakchhed Singh v/s DPS Allahabad

Application

I Copy

15/12/87

Application U/S 19 of The Administrative Tribunal Act, 1985

1171

Filed on 7-12-1987

Regn. No. Of 87

Signature of D.R.(J)

Dy. Deputy Registrar.

In the Central Administrative Tribunal, Allahabad-1

Between

Makchhed Singh .... Applicant

AND

(1) DPS Allahabad

(2) Supdt. Posts Sultanpur ...... Respondents

INDEX

Sl. No.	Appendix Marked	Particulars Of Documents	Page No.
1	-	Application	2 to 6
2	A I	No.F/M.O.-3/84-85/Disc.dated 31-3-1987 from Resp. No.2	7 to 12
3	A II	Enquiry Report dated 15-3-87	13 to 18
4	A III	Appeal dated 12-5-87 to DPS	19 to 20
5	A IV	Affidavit dated 18-7-86 of Smt. Suraj Kali	21 to 22

R.K.Tewari

(R.K.Tewari)
Advocate
154, Purushottamnagar,
Allahabad-16

Date of Admission
Noted for 1/12/87
R.K.Tewari

Details of Application

1- Particulars of the Applicant :—

(i) Name of the Applicant Nakchhed Singh

(ii) Father's Name Shri Narendra Bahadur Singh

(iii) Designation & Ex EDBPM

Office in which employed Kunda B.O. under Shahgarh Sub Postoffice

(iv) Office Address Vill. & P.O. Kunda Dist. Sultanpur

(v) Address for service

of all notices

2- Particulars of the Respondents :—

(i) Name &/Or Designation (1) D.P.S. Allahabad

(ii) Official Address (2) Supdt. Posts Sultanpur

(iii) Address for service

of all notices

3- Particulars of the order against which application is made :—

(i) Order No. F/M.O.-3/84-85/Disc.

(ii) Date 31-5-1987

(iii) Passed by Supdt. Posts Sultanpur

at Pages 7 to 12

(iv) Subject in brief

4- Jurisdiction of the Tribunal

The applicant declares that the subject matter of the order against which he wants redressal is within the Jurisdiction of the Tribunal.

5- Limitation

The applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in section 21 of the Administrative Tribunal Act, 1985.

6- Facts of the case

The facts of the case are given below :-

(i) The applicant who had been serving an EDBPM at Kunda Branch Post Office under Shahgarh S.O. in district Sultanpur was awarded the punishment of Dismissal by the learned Resp. no. 2 vide his memo no. F/MO-3/84-85/Disc dt. 31.3.87 Ann. A1 on page . The charges on which he has been dismissed are

(a) alleged forged delivery of Harkuldanga Insured letter no. 781 dt. 20.1.82 for Rs. 850/- to Smt. Surajkali r/o village Panchpurwa P.O. Kunda, district Sultanpur and

(b) non payment of Kotla Power House P.O. M.O. No. 3265 dt. 8.7.83 for Rs. 900/- to Shri Badri Pd. Yadava r/o Misir Ka Purwa P.O. Kunda, distt. Sultanpur.

(ii) An Enquiry under Rule 8 of Service and Conduct Rules for ED Staff in P&T Deptt. was held and the Enquiry Report is appended as Ann. ~~AII~~ A II on pages 13 to 18.

(iii) The applicant preferred an appeal on 12.5.87 vide Ann. ~~AIII~~ A III on page 19 to 20 to the learned DPS Alld. As the same remained unattended for the last 7 months hence this application.

(iv) Smt. Surajkali addressee of Harkutdanga Insured letter No. 781 dt. 20.1.82 has clearly acknowledged the receipt of the insured letter in question through a Notary Affidavit dated 11.7.86. A photo copy of the same is appended herewith as Annexure ~~AIV~~ A IV on page 21 And 22

Rn Tewari

(112)

...idavit had aulty been submitted before the Enquiring O... its receipt in his enqu... made any comment on it.

(v) Babu Ram overseer of Gauriganj had deyledged the I/o that Smt. Surajkali had confirmed in statement given before the said overseer to have correctly received the insured letter in question. That statement was not produced by the prosecution before the I/o for which they are responsible.

(vi) Ram Pal Yadava who had witnessed the delivery of the Insured letter in question to its addressee had confirmed the same in his statement before the I/o. But the learned Respondent No. 2 rejecting the ...tary affidavit of Smt. Suraj Kali and the statements of S/Shri Babu Ram and Ram Pal Yadav before the I/o has taken the charge as prov... on the basis of preliminary enquiry made by ... Jaiswal the SDI(Posts) Sultanpur. This ...od ....

(vii) As far as the second char... was real concerned the M.O. in question ... (as ...livered to a person of the same name (as the wrong paymen addressee) and as soon the wrong ... person to whom the money was ... notice ... deposited it in the Sub-Post Of... under unclassified recei... was payable ...

(112)

This affidavit had aulty been submitted before the Enquiring Officer who has also acknowledged its receipt in his enquiry Report but has not made any comment on it.

(v) Babu Ram overseer of Gauriganj had deposed before the I/o that Smt. Surajkali had confirmed in a statement given before the said overseer to have correctly received the insured letter in question. That statement was not produced by the prosecution before the I/o for which they are responsible.

(vi) Ram Pal Yadava who had witnessed the delivery of the Insured letter in question to its addressee had confirmed the same in his statement before the I/o. But the learned Respondent No. 2 rejecting the Notary affidavit of Smt. Suraj Kali and the statements of S/Shri Babu Ram and Ram Pal Yadava before the I/o has taken the charge as proved on the basis of preliminary enquiry made by Shri J.P. Jaiswal the SDI(Posts) Sultanpur. This is bad in law.

(vii) As far as the second charge is concerned the M.O. in question was really misdelivered to a person of the same name (as of the addressee) and as soon as the wrong payment came to Notice, the person to whom the money was wrongly paid deposited it in the Sub-Post Office at Amethi under unclassified receipt. The M.O. in question was payable to Shri Badri Prasad Yadava but it

R. Tewari

was wrongly paid to Shri Badri Prasad Moonj. The error had been because of the fact that Shri Badri Pd. Moonj had been receiving MOs very often while Shri Badri Pd. Yadava had been rarely receiving it. The learned respondent no. 2 has rejected even such a common error on the face of the fact that Shri Badri Pd. Moonj acknowledging wrong payment of M.O. in question to him had refunded it to the Government by depositing it in Amethi S.O.

7. Reliefs sought for

(i) The punishment order which is totally malafied may kindly be set aside

(ii) The applicants' services may kindly be restored to him from retrospective effect.

(iii) The applicant may kindly be allowed the cost of this suit together with all other reliefs deemed fit by the Hon'ble Tribunal.

R.N. Yadava

बद्री प्रसाद

8- **Interim order, if prayed for**— N I L

9- **Details of the remedies exhausted**

The applicant declares that he has availed of all the remedies available to him under relevent service rules— He preferred an appeal to the DPS Allahabad on 12-5-87 vide Ann. A III on Page19 & 20 which remained unattended hence this application.

10- **Matter not pending with any other court etc. :-**

The applicant further declares that the matter regarding which this application has been made is not pending before any court of law, or any other authority or any other bench of the Tribunal.

11- **Particulars of the Postal Order in respect of the application fee :-**

(i) No. of I. P. O. DD5/533878

(ii) Name of Issuing P. O. Allahabad H.O.

(iii) Date 1-12-1987

(iv) P. O. at which payable Allahabad H. P. O.

12- **Index**- An Index of the documents to be relied upon is enclosed with each copy of this application

13- **List of enclosures :-**

(i) Vakalatnama

(ii) one I. P. O. for Rs. 50/-

(iii) Four documents to be relied upon

In Verification

I, Nakchhed Singh S/O Shri Narendra Bahadur Singh aged 33 years R/O Vill. & P.O. Kunda Dist. Sultanpur and working as Ex EDBPM Kunda do hereby verify that the contents from 1 to 13 are true to my personal knowledge & belief and that I have not suppressed any material facts.

Place- Allahabad

Date 7-12-1987 .

Signature of applicant

To

The Registrar, Central Adminstrative Tribunal,
Allahabad—211001

R. K. TEWARI
Advocate
154, Pursh[illegible] Nagar
(K[illegible])
Allahabad-16

-7-

Annexure A-I

(MS)

भारत सरकार
डाक विभाग
कार्यालय - अधीक्षक डाकघर,
सुल्तानपुर मण्डल-228001.

मेमो संख्या- एफ/एम0जी0 -3/84-85 सिंह दिनांक सुल्तानपुर 31.3.87.

....

श्री नकछेद सिंह शाखा डाकपाल कुण्डा ने दि0 27.1.82 को शाखा डाकघर पर्वा द्वारा नरकुल डंगा बीमा पत्र सं0 731 दि0 20.1.82 का चला हुआ रू0 850/- का वितरण के लिए प्राप्त किया। बी0जी0 जनरल में चढ़ाकर उक्त बीमा का वितरण दि0 27.1.82 को प्राप्त कर्ता को वितरित करना दिखाया। इसी प्रकार उन्होंने शाखा डाकघर कुण्डा में शाखा डाकपाल के पद पर दि0 14.7.83 को काम करते हुए शाखा डाकघर पर्वा पर चढ़ कर आये कोरला पावर हाउस धनादेश सं0 3255 दि0 8.7.83 का चला मूल्य रू0 900/- का प्राप्त किया उसे बी0जी0 जनरल पर चढ़ाकर दिनांक 15.7.83 को बंटा दिखाया। उक्त बीमा पत्र एवं धनादेश के भुगतान सम्बन्धित की शिकायत प्राप्त कर्ता एवं बीमा के प्रेषक से प्राप्त हुई। उनकी प्रारम्भिक जाँच के समय जो तथ्य ज्ञात हुए उनके आधार पर उक्त श्री नकछेद सिंह शाखा डाकपाल कुण्डा के विरूद्ध ई0डी0ए0 [illegible] नियम 1964 के नियम 8 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2- वितरण के समय की गई अनियमितताओं एवं शाखा डाकघर नियमावली के नियम के उल्लंघन का ज्ञापन इस कार्यालय ज्ञापन सं0 [illegible] दिनांक 16.10.84 के द्वारा उनको भेजा गया जो उक्त श्री नकछेद सिंह को दिनांक 23.10.84 को मिला। श्री नकछेद सिंह ने अपने उत्तर दि0 31.10.84 के द्वारा उन आरोपों को अस्वीकार किया। अतः सी0सी0एस0(सी0सी0ए0) नियम 1965 के नियम 14 से मिलती-जुलती जाँच का आदेश इस कार्यालय के [illegible] सं0 [illegible] दिनांक 8.11.84 के माध्यम से श्री नन्द लाल पाण्डेय को जाँच अधिकारी एवं श्री [illegible] को प्रस्तुत कर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त श्री नकछेद सिंह शाखा डाकपाल कुण्डा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का विवरण अनुसूची I के अनुच्छेद सं0 I एवं II में इस प्रकार वर्णित है -

अनुसूची-I-

अनुच्छेद -I-

अभिरोपित है कि उक्त श्री नकछेद सिंह भूतपूर्व शाखा डाकपाल (कार्य-पृथक) कुण्डा ने दिनांक 27.1.82 को शाखा डाकपाल कुण्डा के पद पर कार्य करते हुए शाखा डाकघर पर्वा दिनांक 27.1.82 पर दर्ज नरकुल डंगा बीमा पत्र संख्या 731 दिनांक 20.1.82 मूल्य 850/- को प्राप्त कर्ता को फर्जी वितरण दिखाकर डाकघर के अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टियाँ अंकित किया एवं उक्त बीमा पत्र का तत्संबंधित धन कुण्डा शाखा डाकघर पर्वा दिनांक 27.1.82 पर [illegible] किया। इस प्रकार शाखा डाकघर नियमावली के नियम 97 तथा ई0डी0 वि0 (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 की अवहेलना की।

अनुच्छेद -II-

अभिरोपित है कि उक्त श्री नकछेद सिंह भूतपूर्व शाखा डाकपाल (कार्य-पृथक) कुण्डा शाखा डाकपाल के पद पर कार्य करते हुए दि0 14.7.83 को कोरला पावर हाउस धनादेश सं0 3255 दि0 8.7.83 मूल्य 900/- रू0 प्राप्त करके इसके प्राप्त कर्ता को न भुगतान करके शाखा डाकघर नियमावली के नियम 109 एवं अतिरिक्त विभागीय (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 की अवहेलना किया"

(क्रमशः)

[signature]

-8-

भारत सरकार
डाक विभाग

कार्यालय- अधीक्षक डाकघर,
सुल्तानपुर मण्डल-228001।

मेमो -एफ/ एम0ओ-3/84-85 /विस सुल्तानपुर दिनांक 31-3-87।

....

श्री नकछेद सिंह शाखा डाकपाल कुण्डा ने दिनांक 27.1.82 को शाखा डाकघर पर्चो द्वारा नरकुल डंगा बीमा पत्र सं0 791 दि0 20.1.82 का पता हुआ रू0 850/- का वितरण के लिए प्राप्त किया। बी0ओ0 जनरल में चढ़ाकर उक्त बीमा का वितरण दि0 29.1.82 को प्राप्त कर्ता को वितरित करना दिखाया। इसी प्रकार उन्होंने शाखा डाकघर कुण्डा में शाखा डाकपाल के पद पर दि0 14.7.83 को काम करते हुए शाखा डाकघर पर्चो पर चढ़ कर आये कोरला पावर हाउस धनादेश सं0 3265 दि0 8.7.83 का पता मूल्य रू0 900/- का प्राप्त किया उसे बी0ओ0 जनरल पर चढ़ाकर दिनांक 15.7.83 को बंटा दिखाया। उक्त बीमा पत्र एवं धनादेश के भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त कर्ता एवं बीमा के प्रेषक से प्राप्त हुई। उनकी प्रारम्भिक जांच के समय जो तथ्य ज्ञात हुए उनके आधार पर उक्त श्री नकछेद सिंह शाखा डाकपाल कुण्डा के विरुद्ध ई0डी0ए0 (कान्डक्ट एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 8 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाई प्रारम्भ की गई।

2- वितरण के समय की गई अनियमितताओं एवं शाखा डाकघर नियमावली के नियमों के उल्लंघन का ज्ञापन इस कार्यालय सं0 यही दिनांक 16.10.84 द्वारा उनको भेजा गया जो उक्त श्री नकछेद सिंह को दिनांक 23.10.84 को मिला। श्री नकछेद सिंह ने अपने उत्तर दि0 31.10.84 के द्वारा उन आरोपों को अस्वीकार किया। अतः सी0सी0एस0 (~~कान्डक्ट एवं~~ सी0सी0ए0 सेवा) नियम 1965 के नियम 14 से मिलती जुलती जांच का आदेश इस कार्यालय के पत्र सं0 यही दिनांक 8.11.84 के माध्यम से श्री मन्नलाल पाण्डेय को जांच अधिकारी एवं श्री सी0पी0 जायसवाल को प्रस्तुत कर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त श्री नकछेद सिंह शाखा डाकपाल कुण्डा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का विवरण अनुबन्ध I के अनुच्छेद सं I एवं II में इस प्रकार वर्णित है-

अनुबन्ध I

अनुच्छेद - II :- "अभिकथित है कि उक्त श्री नकछेद सिंह भूतपूर्व शाखा डाकपाल (कार्य मुक्त) कुण्डा शाखा डाकपाल के पद पर कार्य करते हुए दि0 14.7.83 को कोरला पावर हाउस धनादेश सं0 3265 दि0 8.7.83 मूल्य 900/- रू0 प्राप्त करके इसके प्राप्त कर्ता को न भुगतान करके शाखा डाकघर के अभिलेखों में इसके भुगतान संबंधी झूठी प्रविष्टियां करके दि0 15.7.83 को भुगतान किया पर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 109 एवं अतिरिक्त विभागीय (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 का उल्लंघन किया।"

.....2/-

A12

3- उक्त शाखा डाकपाल श्री [illegible] सिंह ने अपने बचाव में श्री आनन्द कुमार तिवारी को बचाव सहायक नियुक्त किया । जाँच अधिकारी ने दि0 12•2•85 से लेकर 29•5•86 के अन्दर ~~निम्नलिखित~~ भिन्न-भिन्न तिथियों की बैठकों में जाँच सम्पन्न किया । उन्होंने अपनी जाँच आख्या दि0 15•3•87 को एक प्रति में इस कार्यालय को भेजी ।

4- जाँच अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित सरकारी अभिलेख अभियोजन की तरफ से दाखिल किये गये ।

1- श्री रघुनन्दन दूबे ग्राम पचपेड़वा डा0 कुण्डा का दिनांक 30•7•82 का शिकायती पत्र - प्रदर्श क-8•

2- प्रवर अधीक्षक डाक कलकत्ता का पत्र सं0 सी0आर0 -4/के-35/5/बी• दि0 19•8•82 (प्रदर्श क-9) •

3- शाहगढ़ उपडाकघर से चली दि0 27•1•82 को कुण्डा शाखा डाकघर पर्ची (प्रदर्श क-10)•

4- कुण्डा शाखा डाकघर का दि0 18•12•81 से 19•[illegible]•82 तक का शाखा डाक घर जनरल -(प्रदर्श -क-11)

5- प्रस्तुत कर्ता मूल रसीद धनादेश संख्या 781 दिनांक 27•1•82 को वितरित मूल्य रु0 [illegible]/- (प्रदर्श क-12)

6- बयान श्रीमती [illegible] दि0 [illegible] (प्रदर्श क-13)

7- बयान श्री [illegible] दि0 21•2•84 (प्रदर्श क-14)

5- इसी प्रकार कोटला पावर हाउस धनादेश सं0 3255 दि0 8•7•83 मूल्य रु0 900/- से संबंधित आरोप को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत कर्ता ने जाँच में सम्मिलित किया ।

1- कोटला पावर हाउस रोपड़ मूल भुगतान हुआ धनादेश सं0 3255 दि0 8•7•83 मूल्य रु0 900/- (प्रदर्श क-2)

2- श्री बद्री प्रसाद यादव का ता0 21•2•84 का बयान (प्रदर्श क-1)

3- श्री राम पाल यादव -मिसिर का पुरवा का बयान दि0 21•2•84 (प्रदर्श क-3)

4- मूल परिवाद श्री बद्री प्रसाद यादव ग्राम मिसिर का पुरवा कुण्डा ता0 13•2•84 (प्रदर्श क-4)

5- शाखा डाकघर पर्ची कुण्डा दि0 14•7•83 (कार्बन प्रति) (प्रदर्श क-5)

6- शाखा डाकघर कुण्डा का बी0ओ0 जनरल दि0 22•3•83 से 7•9•83 (प्रदर्श क-6)

7- शाखा डाकघर कुण्डा का दैनिक लेखा दि0 15•7•83 (प्रदर्श -7)

6- बचाव पक्ष ने भी अपने बचाव में धनादेश सं0 3255 के मूल्य रु0900/- की गलत बँटने के कारण जमा की गई रकम जो डाक घर ए•सी•जी•-67 की रसीद दिनांक 30•5•83 को (प्रदर्श ख-1)

2- श्री बद्री प्रसाद यादव की जगह श्री बद्री प्रसाद दूबे ग्राम व पोस्ट कुण्डा का दि0 19•1•85 का बयान (प्रदर्श ख-2)

....3/-

3- श्री बाबू राम मेल ओवर सियर का पत्राचार रजिस्टर दि0 19.1.04 से 28.5.06 तक का (प्रदर्श क-2-अ)

4- श्री बाबू राम मेल ओवर सियर की डायरी दि0 1.7.04 से 7.7.04 तक की

7- जाँच के समय सरकारी गवाह श्री चन्द्रिका प्रसाद जायसवाल ने मूल पत्रावली (प्रदर्श क-8) (एवं क-9) को जाँच के लिए मिलना स्वीकार किया है। यह चार्ज शीट के अनुच्छेद -1 से सम्बन्धित है। उन्होंने प्रदर्श क-13 को सिद्ध किया है जिसमें प्राप्त कर्त्ता ने बीमा पाना अस्वीकार किया है। यह बयान 22.2.04 का है। अतः 22.2.04 तक बीमा धन प्राप्त कर्त्ता को नहीं वितरित किया गया था। प्राप्त कर्त्ता ने प्रदर्श क-12 पर लगा अंगूठा निशान भी अपना होना अस्वीकार किया है। इसी प्रकार प्रदर्श क-14 को भी उन्होंने सिद्ध किया जिसमें लेखक ने प्रदर्श क-12 पर के लेख को अपना होना अस्वीकार किया है एवं उक्त बीमे का वितरण भी अपने समक्ष होना अस्वीकार किया है। जाँच के समय श्री राम पाल ने अपने पूर्व बयान दि0 21.2.04 (प्रदर्श क-14) की पुनः पुष्टि की है। परन्तु जिरह के समय श्री राम पाल ने दूसरा बयान दिया है कि बीमा रसीद पर अंगूठा निशान सूर्य कली का है परन्तु उन्होंने अपने प्रारम्भिक जाँच में दिए गए बयान दि0 21.2.04 को सत्य बताते हुए इस प्रकार का बयान देने का कोई तर्क पूर्ण कारण नहीं बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त शाखा डाकपाल के दबाव में आकर उन्होंने दो परस्पर विरोधी बयान दिया है। जबकि उन्होंने प्रथम बयान दि0 21.2.04 को अपनी पूर्ण चेतन अवस्था में सोच-समझकर लिखा था। पृथक श्रीमती सूर्य कली देवी का यह बयान कि इस बीमे की रकम [illegible] वितरण [illegible] उनके पिता को दे दी गई थी कोई महत्व नहीं रखता। चूँकि बीमा के न बंटने की शिकायत की जानकारी शाखा डाकपाल को हो गई थी अतः उन्होंने बीमा की रकम प्राप्त कर्त्ता के पिता को [illegible] में देकर इस धोखा पूर्ण कार्य पर पर्दा डाला है परन्तु लगाये गये चार्ज में इस क्रिया से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अभिलेखों से इस प्रकार की लिखित भुगतान की भी परिलक्षित नहीं होता है। अतः यह चार्ज पूर्ण तरह सिद्ध है कि [illegible] प्राप्त कर्त्ता को इस बीमे की रकम विभाग को नहीं लौटायी है।

8- पुनः चार्ज सं0 2 के विषय में प्रदर्शों एवं बयानों से निम्नलिखित बातें सिद्ध होती है।

1- प्रदर्श क-2 पर प्राप्त कर्त्ता का स्पष्ट नाम "बद्री प्रसाद यादव लिखा है ग्राम व पोस्ट मिसिर का पुरवा [illegible] लिखा है। बचाव पक्ष का यह कहना कि श्री बद्री प्रसाद पुत्र ग्राम [illegible] को यह धनादेश गलत वितरित हो गया था कोई संतोष प्रद उत्तर नहीं रखता है। शाखा डाकघर के समक्ष प्राप्तकर्त्ता का नाम व पता स्पष्ट था अतः इसके गलत बंटने का कोई औचित्य ही नहीं होता था। यह बात प्रदर्श क-2 [illegible] बचाव पक्ष ने दिया है। प्रदर्श क-2 में स्पष्ट लिखा है कि श्री बद्री प्रसाद पुत्र ने न तो इस धनादेश की रकम भूल से प्राप्त की है और न तो उसे वापस [illegible] किया है। यह बात प्रदर्श क-3 जो कि गवाह श्री रामपाल यादव का दि0 21.2.04 का बयान है से भी सिद्ध होती है। श्री बद्री प्रसाद यादव [illegible] ने दि0 21.2.04 के बयान प्रदर्श क-1 में इस धनादेश पर अपना अंगूठा निशान होना या धनादेश का वितरण होना अस्वीकार किया है। जाँच के समय भी श्री बद्री प्रसाद यादव [illegible] प्राप्त कर्त्ता ने [illegible] किया है। [illegible] लेखक श्री राम पाल यादव ने जाँच के समय

........4/- [illegible]

A19

अपने पूर्व बयान के विरुद्ध बयान दिया है और कहा है कि अंगूठा निशान उन्होंने लिखा है और हस्ताक्षर बनाया है परन्तु यह बात तो पुनः स्पष्ट किया है कि यह रकम भी बद्री प्रसाद को उनके समक्ष नहीं दी गई है । इतने पता व नाम स्पष्ट होने पर श्री बद्री प्रसाद शुक्ल को यह धनादेश क्यों बांटा कोई स्पष्ट कारण बचाव पक्ष ने नहीं दिया है । गलत प्राप्ता कर्ता ने कुछ स्पष्ट बताने में असमर्थता व्यक्त की है । अतः यह आरोप तो स्पष्टतः सिद्ध है ।

9- उक्त शाखा डाकपाल निलम्बित ने अपने लिखित बयान दिनांक 29.5.86 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि प्रारम्भिक जाँच के समय दिनांक 22.2.84 का उनका दिया गया बयान सही नहीं था बल्कि उसने जो आवेदन इसके बाद प्रारम्भिक जाँच अधिकारी को भेजा था तथ्य ज्ञात होने के बाद उनके कार्यों की कराई जाने वाली जाँच के समय लाइन ओवर सियर को बीमा नहीं प्राप्त करने का जो बयान दिया गया था वह सत्य है । परन्तु परिस्थिति से यह स्पष्ट है कि श्री सी0एन0 जायसवाल के बयान लेने के बाद ही यह लिखित आवेदन एवं बयान द्वारा दिया गया है जो बनावटी एवं दबाव में आकर दिया गया प्रतीत होता है ।

श्रीमती सूर्यकला का बयान जाँच के समय दि0 30.5.86 को लिया गया जिसमें यह रकम या बीमा प्राप्त करना या अपना अंगूठा निशान रसीद पर उन्होंने अस्वीकार किया है । उन्होंने यह भी बताया है कि इस बीमे की रकम रु0 850/- उनके पिता को दी गई है । उन्होंने अपने पिता को भी दी गई रकम की स्पष्ट तिथि नहीं बताई है । उक्त शाखा डाकपाल ने बीमा के बदले आदि न करने की बात गम्भीर आरोप न बताकर स्वयं मान लिया है ।

10- इसी प्रकार उक्त शाखा डाकपाल ने अपने इसी लिखित बयान में स्वीकार किया है कि धनादेश श्री प्रसाद यादव ग्राम मिसिर के पुरवा के नाम था जिसका भुगतान उन्होंने बद्री प्रसाद शुक्ल ग्राम कुण्डा को किया था । साथ ही बद्री प्रसाद शुक्ल का धनादेश कानपुर से आने वाला बताया गया था परन्तु यह धनादेश अन्यत्र पानी [illegible] पावर हाउस रोपर से था । उक्त शाखा डाकपाल ने जो तर्क धनादेशों के गलत बंटने का दिया है वह समझ से परे है क्योंकि सभी भिन्न परिस्थितियों में उन्होंने यह क्रम रखा है । यह संयोग ही है कि अन्य गाँव कुण्डा में इस नाम का शुक्ल रहता है जिसे उन्होंने इस गबन का माध्यम बनाया है । शाखा डाकपाल यह नहीं सिद्ध कर सके कि श्री बद्री प्रसाद शुक्ल का कोई धनादेश कानपुर से आया इसके बाद वह बंटा जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धनादेश की रकम वे स्वयं खाकर इस प्रकार का गलत तर्क रख दिया।

11- इसी प्रकार दिनांक 9.9.86 के संक्षिप्त तर्क में श्री नकछेद सिंह ने धनादेश पर दूसरे का अंगूठा निशान होना स्वीकार किया है । रकम को भी बाद में जमा होना बताया है । जो तिथि प्रारम्भिक जाँच की तिथि के बाद ही है। जहाँ तक सूर्यकला का बयान है वह बचाव पक्ष के रूप में हो सकता है क्योंकि उन्होंने शाखा डाकपाल के दबाव के कारण सरकारी गवाह के रूप में उपस्थित होना अस्वीकार किया । बचाव पक्ष के हित में गवाह के रूप में भी उन्होंने अपने बयान दिनांक 30.5.86 में यह नहीं कहा है कि उक्त रसीद पर उन्होंने अपना अंगूठा निशान लगाकर उक्त बीमा प्राप्त किया है ।

.........5/-

A20

(5)

उन्होंने अपने बयान दिनांक 22.4.86 को पुष्टि भी की है जो पृष्ठ सं० 13 है। केवल कहना यही है कि [illegible] रकम उनके पिता को मिल गई है। अब [illegible] बोलता हूँ। बचाव पक्ष ने उनके पिता का कोई बयान जाँच के समय नहीं कराया [illegible] का तथ्य है कि [illegible] होने के कारण [illegible] प्रश्न नहीं हो सकता। दि० 3.5.86 के बयान के समय बचाव सहायक उपस्थित थे और वे अपने गवाह के बयान से अवगत थे एवं उन्हें स्पष्ट करा सकते थे। उक्त डाकपाल भी उस समय जाँच में उपस्थित थे और सभी कार्यवाही प्रति पर उपस्थिति के हस्ताक्षर किये है। इस प्रकार की जाँच में सम्भवतः शपथनामा विचारणीय नहीं हो सकता क्योंकि नियम 8 की कार्यवाही नियम 14 के अनुसार अर्द्ध न्यायिक जाँच है अतः किसी अन्य न्यायालय में शपथ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

12- इस प्रकार ऊपर के स्पष्ट तथ्यों, तर्कों के आधार पर मैं जाँच अधिकारी की जाँच आख्या एवं निष्कर्षों से सहमत हूँ और उक्त श्री नकछेद सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप 1 एवं 2 स्पष्ट सिद्ध है।

अतः मैं राम समुझ सिंह, अधीक्षक डाकघर, सुलतानपुर, श्री नकछेद सिंह शाखा डाकपाल कुण्डा (पुट आफ) को उनकी शाखा डाक पाल सेवा से 'डिसमिस' करता हूँ। यह उनको भविष्य की किसी अन्य सेवा के लिए अयोग्यता होगी। जाँच आख्या की एक प्रति सूचना के लिए संलग्न की जा रही है।

TRUE COPY

(R. K. Tiwari Advo.)

(राम समुझ सिंह)
अधीक्षक डाकघर,
सुलतानपुर मण्डल-228001.

दि० 31.3.87.

पंजीकृत पावती-

प्रतिलिपि:- श्री नकछेद सिंह शाखा डाकपाल कुण्डा (पुट-आफ) ग्राम व पोस्ट कुण्डा, शाहगढ़, सुलतानपुर।

2- शाखा डाकपाल कुण्डा (शाहगढ़) सुलतानपुर।

3- डाक पाल सुलतानपुर।

4- निरीक्षक डाकघर अमेठी प्रखण्ड अमेठी सुलतानपुर।

5- उपडाकपाल शाहगढ़ सुलतानपुर।

6- 'ए' पत्रावली कुण्डा शाखा डाकघर प्रखण्डीय कार्यालय।

7- विजिलेन्स रजिस्टर।

8-9. अतिरिक्त प्रतियाँ।

-13-

Annexure A II.

A21

श्री नन्द लाल पाण्डेय जाँच अधिकारी सहायक अधीक्षक डाकघर मऊ उपखण्ड मऊनाथ भंजन -275101 के द्वारा दिनांक 15.3.87 की जाँच रिपोर्ट जो श्री नकछेद सिंह अ0 वि0 शाखा डाकपाल कुण्डा (शाहगढ़) के विरुद्ध थी ।

जाँच रिपोर्ट

डाक अधीक्षक सुलतानपुर के आदेश सं0 एफ0/एम0 ओ03/84-85 / सि0 दि0 6.11.84 के द्वारा श्री [illegible] सिंह अ0 वि0 शाखा डाकपाल कुण्डा (शाहगढ़) के विरुद्ध लगाये आरोपों की जाँच के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था ।

डाक अधीक्षक सुलतानपुर द्वारा श्री नकछेद सिंह के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये थे :-

श्री नकछेद सिंह ने दिनांक 27.1.82 को नरकुल डाँगा बीमा पत्र सं0 781 दिनांक 20.1.82 मूल्य रु0 550/- जो श्रीमती सूरज कली देवी ग्राम पंचपेड़वा पो0 कुण्डा शाहगढ़ के नाम था वितरण करने हेतु शाखा डाकघर पर्ची दिनांक 22.1.82 के माध्यम से प्राप्त किया । उक्त श्री सिंह ने शाखा डाकघर जनरल में उक्त बीमें की प्राप्ति को प्रविष्ट अंकित किया । पुनः दिनांक 27.1.82 को बीमा बाँटने की रसीद एवं शाखा डाकघर जनरल में बीमा पत्र के प्राप्त कर्ता का फर्जी निशान अंगूठा लगा कर [illegible] लाल [illegible] किशोरी [illegible] मिश्र का पुरा के द्वारा बीमा पत्र के प्राप्त कर्ता के निशानी अंगूठे का फर्जी [illegible] दिखा कर बीमा पत्र का वितरण दिखा कर बीमा की [illegible] दुरुपयोग किया । बीमा पत्र की प्राप्त कर्ता श्रीमती सूरज कली ने बीमा पत्र का पाना अस्वीकार किया तथा डाकघर के किसी अभिलेख में नि0 अं0 लगाने से इनकार [illegible] । लेखक श्री राम पाल यादव ने उक्त अभिलेख देख कर बताया कि बीमा पत्र के प्राप्त कर्ता श्री मती सूरज कली के नि0 अं0 प्रमाणित करने से संबंधित लिखावट उनके द्वारा नहीं लिखी गई है । इसके अतिरिक्त उक्त श्री नकछेद सिंह शाखा डाकपाल कुण्डा (कार्यपृथक) के बीमा पत्र का वजन करके शाखा डाकघर पर्ची पर उसका वजन अंकित नहीं किया । इस प्रकार श्री सिंह ने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 97 तथा सत्य निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता बनाये रखने में असफल रहते हुए अतिरिक्त विभागीय आचरण एवं सेवा नियमावली 1964 के नियम 17 का पालन नहीं किया ।

उक्त श्री नकछेद सिंह भू0 पू0 शाखा डाकपाल कुण्डा (कार्य पृथक) ने दिनांक 14.7.83 को [illegible] हाउस धनादेश सं0 3255 दि0 8.7.83 मूल्य रु0 900/- जो श्री बद्री प्रसाद यादव निवास मिश्र का पुरवा पोस्ट कुण्डा (शाहगढ़) सुलतानपुर के नाम था वितरित करने हेतु कुण्डा शाखा डाकघर पर्ची पर दिनांक 14.7.83 के माध्यम से प्राप्त करके शाखा डाकघर जनरल में उक्त धनादेश की प्राप्ति की प्रविष्टि अंकित किया ।

(क्रमशः)

[signature]

(A22)

उक्त धनादेश भुगतान वाउचर पर प्राप्त कर्त्ता के हस्ताक्षर के नि0 अं0 के स्थान पर धनादेश के प्राप्त कर्त्ता के जाली नि0 अं0 बनाकर नि0 अं0 की तसदीक श्री राम पाल यादव निवासी साकिन मिश्र का पुरवा के द्वारा किया गया दिखाया एवं डाकघर के अभिलेखों में उक्त धनादेश का भुगतान दि0 15.7.83 को दिखाकर मूल्य 900/- का दुरुपयोग किया एवं डाकघर के लेखे में रू0 900/- की धनराशि शामिल कर लिया धनादेश के उक्त प्राप्त कर्त्ता ने धनादेश का पाना अस्वीकार किया व धनादेश के वाउचर पर नि0 अं0 लगाने से इन्कार किया। नि0 अं0 तसदीक करने वाले श्री रामपाल ने भी उक्त भुगतान वाउचर देख कर बताया कि उक्त नि0अं0 तसदीक करने की लिखावट उनकी अपनी नहीं है। उक्त कार्यवाही करके शाखा डाकपाल श्री नकछेद सिंह ने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 109 की अवहेलना की।

उपरोक्त आरोपों की जाँच के लिए निम्न तारीखे रक्खी गई और उक्त श्री नकछेद सिंह को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा मौका मिल गया है।
29.5.86, 30.5.86, 11/2/86, 23.1.86, 12.6.85, 15.5.85, 14.5.85 तथा 12.2.85 ।

प्रस्तोता अधिकारी ने निम्न कागजों को आरोप नं0 1 के संबंध में सबूत के रूप में दिया -

1- मूल परिवाद श्री रघुनन्दन दूबे ता0 30.7.82 -(Ex -क-8)
2- प्रवर डाक अधीक्षक कलकत्ता पूर्वी मण्डल पत्र नं0 सी0आर0-4/जी-35/5/13 दि0 19.8.82 (Ex -क-9).
3-शाखा का बी0ओ0 स्लिप बुक के लिए कार्बन कापी दि0 27.1.82 (Ex-क-10
4-कुण्डा बी0ओ0 जनरल दि0 18.12.81 से 19.9.82 (Ex क-11)
5- प्राप्त कर्त्ता रसीद बीमा पत्र नं0 731 दि0 27.1.82 मूल्य 850/- (Ex -क-12)
6- बयान श्रीमती सूरज कली देवी ता0 22.2.84 (Ex -क- 13)
7-बयान श्री रामपाल दि0 21.2.84 (Ex-क-14).

श्री चन्द्रिका प्रसाद जायसवाल तत्कालीन डाक निरीक्षक अमेठी ने अपने बयान दिनांक 15.5.85 में बताया कि उन्हे नरकुल डांगा बीमा पत्र नं0 731 दि0 20.1.82 रकम रू0 850/- प्राप्त कर्त्ता श्री मती सूरज कली देवी पुत्री रघुनन्दन दूबे निवासी पंचदेवा डा0 कुण्डा जनपद सुलतानपुर के न मिलने के संबंध में जाँच के लिए दिया था जाँच में उन्हे श्री रघुनन्दन दूबे (प्रेषक) 17 बाघम्बरी रोड कलकत्ता का मूल परिवाद जो कि Ex -क-8 है के साथ प्रवर डाक अधीक्षक कलकत्ता पूर्वीमण्डल के पत्रांक सी0आर0 -4/जी-35/5/13 दि0 19/82 जो Ex क-9 है भी मिला था। जाँच के दौरान उन्होने बताया कि परिवादी बीमा पत्र दिनांक 27.1.82 के बी0ओ0 स्लिप पर दर्ज होकर शाखा डाकघर कुण्डा में पहुँचा था जिस पर श्री नकछेद सिंह के प्राप्त के हस्ताक्षर है जो कि Ex क-10 है। इस बीमा पत्र को श्री नकछेद सिंह ने बी0ओ0 जनरल में 27.1.82 को दर्ज किया था है जो कि Ex क-11 है। जाँच के दौरान उन्होने

....3/-

[signature]

श्रीमती सूरज कली प्राप्त कर्ता का बयान दि0 ??•?•86 को लिया गया कि Ex क-13 है उसने अपने बयान में बीमा पाना अस्वीकार किया और प्राप्त कर्ता रसीद पर लगी नि0अं0 को भी इन्कार अस्वीकार किया जो कि Ex क-12 है। श्री डाकपाल ने बताया कि [illegible]। श्री राम पाल यादव ने अपने बयान दिनांक 21•2•84 (जो Ex क-14 है) में कहा था कि न तो बीमा उनके सामने बाँटा गया था और न ही पर (Ex क-12) [illegible] में है। श्री राम पाल ने अपने बयान दि0 14•5•85 में जो मेरे द्वारा लिया गया उसमें अपने बयान दिनांक 21•2•84 जो कि Ex क-14 है को स्वीकार किया परन्तु जिरह के दौरान बताया कि पहले बयान दिनांक 21•2•84 को जो मैंने बयान दिया था कि बीमा सूरज कली को न तो मेरे सामने दिया गया था और न मैंने प्राप्त कर्ता रसीद Ex क-12 है पर लिखे लेख हस्ताक्षर ही मेरे हैं वह गलत कहने में दिया था क्योंकि [illegible] जगदीश प्रसाद का भी नहीं मिल [illegible] से दिया था। तथा लिखावट व अन्तर का कारण कागज का छोटा होना बताया है। इस संबंध में श्रीमती सूरज कली के अभिकथन पक्ष की ओर से साक्षी के लिए दिनांक 14•5•85, 12•6•85, 25•1•86 बुलाया गया था परन्तु वह उपस्थित नहीं हुई इसलिए सरकारी प्रस्तोता ने दिनांक 25•1•86 को उन्हें छोड़ देने (Ex ...) का प्रार्थना पत्र इस आधार पर दिया कि उनके बयान को Ex क-13 है और डाक निरीक्षक महोदय द्वारा सत्यापित है उसे मान लिया जाय इस साक्षी मानकर छोड़ दिया जाय।

इस आरोप के बचाव के लिए श्री नकछेद सिंह ने श्रीमती सूरजकली को तथा श्री बाबूराम डाक संदेशक को अपने बचाव गवाह के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमती सूरज कली को दिनांक [illegible] को श्री नकछेद सिंह ने गवाह के रूप में प्रस्तुत किया श्रीमती सूरज कली ने बताया कि Ex क-13 के लिखी को [illegible] सत्य है और उस पर उसके हस्ताक्षर व नि0 अं0 दोनों उसी के हैं यह बयान उसने श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव व बाबू राम डाक संदेशक के सामने डाक निरीक्षक महोदय ने दिनांक 22•2•84 को लिया था जो कि सही है। उसने यह भी बताया बीमा उसे दिनांक 30•5•86 तक नहीं मिला था बल्कि बीमे की रकम रु0 850/- उसके पिता श्री रघुनन्दन दुबे को दिया गया था जैसा कि उसके पिता ने उसे बताया था। सरकारी प्रस्तोता अधिकारी के पूछने पर बताया कि रु0 850/- मेरे पिता को श्री नकछेद सिंह ने दिया था। उसने यह भी बताया कि [illegible] मुझे नहीं मालूम है कि रु0 850/- कब दिया गया इसके साथ-2 वह यह भी नहीं जानती कि राम पाल यादव मिश्र का पुरवा [illegible] व श्री [illegible] सिंह ग्राम पो0 कुण्डा को मैं नहीं जानती हूँ जो कि गवाह है।

इस बीमा पत्र के संबंध में श्री नकछेद सिंह ने गौरीगंज पंजीकृत सं0 2713• दि0 22•7•86 के द्वारा श्रीमती सूरज कली की फोटो बयान की फोटो भेजा जो कि मुझे 31•7•86 को प्राप्त हुई। जिसमें सूरज कली ने बीमा [illegible] पत्र सं0 781 - मूल्य 850/- को पाना स्वीकार किया। यह प्रति जो प्राप्त हुई वह फोटो स्टेट कापी है।

....4/-

नकछेद सिंह

(4)

श्री बाबू राम ने दि0 11·2·86 व 29·5·86 में बताया कि उन्होंने श्रीमती सूरज कली प्राप्त कर्त्ता का बयान दिनांक 7·7·84 को रेकार्ड किया था जिसमें उसने रुपया पाना स्वीकार किया था और बयान को पत्र व्यवहार पुस्तिका में नं0 73 दि0 7·7·84 पर दर्ज करके डाक निरीक्षक अमेठी को भेज दिया था जो कि Ex ख-2-4 है परन्तु यह बयान न तो उपलब्ध हो सका/ ...... श्रीमती सूरज कली ने अपने बयान दि0 30·5·86 में कहा कि उसने केवल एक बयान Ex क-12 है दिया है दूसरा बयान नहीं दिया इस प्रकार यह नहीं साबित होता कि दूसरा बयान डाक निरीक्षक ने लेकर भेजा है क्योंकि पत्र व्यवहार पुस्तिका में दर्ज करने के बाद उसका आर.एल. नं0 आदि नहीं लिखा है। अपनी डायरी इसकी अर्दन अक्टू 7·7·84 को [illegible] नहीं किया है जो Ex ख-3 है।

इस प्रकार दस्तावेजों व गवाहों के बयान के आधार पर लगाया गया आरोप सं0 1 पूर्णतया साबित है परन्तु यदि बयान हल्फी को मद्दे नजर रखा जाय तो नहीं साबित होता है क्योंकि विभाग ने कोई दावा मंजूर नहीं किया मालूम होता है। परन्तु बयान हल्फी को मानने से पहले इसकी सत्यता की जाँच कर ली जानी चाहिए।

आरोप सं0 2 के संबंध में सरकारी प्रस्तोता अधिकारी ने निम्न कागज सबूत में प्रस्तुत किये हैं

1- बयान श्री बद्री प्रसाद यादव दि0 21·2·84 Ex -क-1
प्राप्त कर्त्ता मिसिर का पुरवा

2- कोहला पावर हाउस रोपर मनीआर्डर नं0 3255/8·7·83 फार रू0 900/- भुगतान 15·7·83 (Ex क-2)।

3- बयान श्री राम पाल यादव ग्राम मिसिर का पुरवा कुण्डा दि0 21·2·84 (कापिया) (Ex क-3)।

4- मूल परिवाद श्री बद्री प्रसाद यादव ग्राम मिसिर का पुरवा कुण्डा दि0 13·2·84 (Ex क-4)

5- बी0ओ0 सिल्स कुण्डा (कार्बन कापी) दि0 14·7·83 (Ex क-5)

6- बी0ओ0 जनरल कुण्डा 22·3·83 से 7·9·83 (Ex क-6)

7- बी0ओ0 लेजर एकाउन्ट कुण्डा दि0 15·7·83 (क-7)

श्री बद्री प्रसाद यादव निवासी ग्राम मिसिर का पुरवा डा0 कुण्डा (शाहगढ़) जनपद सुलतानपुर ने डाक अधीक्षक सुलतानपुर के कोहला पावर हाउस (रोपड़) मनीआर्डर सं0 3255 दि0 8·7·83 मूल्य रू0 900/- के न प्राप्त होने के बारे में कहा था जो कि Ex क-4 है। इस परिवाद की जाँच श्री चंद्रिका प्रसाद जायसवाल डाक निरीक्षक अमेठी ने किया था उन्होंने जाँच के दौरान प्राप्त कर्त्ता श्री बद्री प्रसाद का बयान लिया था जिसमें उसने रुपया पाने को तथा पेड वाउचर पर लगे हुए निशान को अस्वीकार किया उसका बयान दिनांक 21·2·84 को है Ex क-1 है। श्री जायसवाल ने अपने बयान में

......5/-

Ex क-1 से Ex क-7 को स्वीकार किया है कि उनके उन्हीं का लिखा हुआ है । श्री बद्री प्रसाद प्राप्त कर्ता ने दिनांक 14.5.85 को मेरे समक्ष क-1 में लिखा तथा को स्वीकार किया और कहा कि उसे धनादेश का रुपया नहीं मिला है । और न उसने कहीं (हस्ताक्षर) नि0 अं0 लगाया है । पेड वाउचर Ex क-2 पर लगे नि0 अं0 को अस्वीकार किया । श्री राम पाल यादव ग्राम मिसिर का पुरवा (कातिब) ने अपना बयान दि0 21.2.84 (Ex क-3) को दिनांक 14.5.85 मेरे समक्ष स्वीकार किया । उसने बताया यह नि0 अं0 उसने शाखा डाकपाल कुण्डा श्री नकछेद सिंह के कहने पर लिखा दिया था उसके सामने उनके ग्राम बद्री प्रसाद का अंगूठा न लगाया था और धनादेश की रकम भुगतान की गई थी । जाँच के दौरान यह भी पता चला कि इस धनादेश को नोटिस बिना करे शाखा डाकपाल श्री नकछेद सिंह ने दि0 15.7.83 को बाँट दिया था ।

श्री नकछेद सिंह ने अपने बचाव बयान दिनांक 29.5.86 में माना है कि उपरोक्त धनादेश दिनांक 14.7.83 को शाखा डाकघर पर्चा के माध्यम से आया है और 15.7.83 को श्री बद्री प्रसाद ग्राम पंचोरा पोस्ट कुण्डा को बाँट दिया गया और यह जानकारी होने पर कि धनादेश गलत बँट गया है दिनांक 14.7.84 को शाहगढ़ में ए.सी.जी.-67 की रसीद नं0 30 पर जमा कर दिया गया जिसकी फोटो स्टेट कापी दिया है जो कि Ex ख-1. है । श्री बद्री प्रसाद पुत्र ग्राम पोस्ट कुण्डा ने अपने बयान दिनांक 30.5.86 कहा कि उसने ही रु0 900/- धनादेश का लिया था और उसके नि0 अं0 के छाप धनादेश पेड वाउचर (Ex क-2) पर है । परन्तु Ex ख-2 पर उसने श्री राम, सजीवन तिवारी गौ.ग्रा. शाखा डाकपाल के कहने पर डाक निरीक्षक के समक्ष लगाया था ।

श्री राम पाल कातिब का कहना कि उसने नि0अं0 का निशान श्री बद्री प्रसाद पुत्र ग्राम पोस्ट कुण्डा का लिया था और पेड वाउचर उनके का हस्ताक्षर का गलत मालूम होता है क्योंकि पेड वाउचर के मुताबिक साफ-2 मिसिर का पुरवा लिखा है । जो कि उनके हस्ताक्षर पर है ।

अतः इस प्रकार श्री राम पाल यादव को दिया बचाव में बयान श्री नकछेद सिंह के पक्ष में दिया है वह सही नहीं लगता है ।

इस प्रकार गवाहों के बयान तथा दस्तावेजों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि धनादेश श्री बद्री प्रसाद यादव ग्राम मिसिर के पुरवा को नहीं बाँटा गया और वितरित दिखाकर हिसाब में ले लिया । चूँकि दूसरे बद्री प्रसाद सुत दुर्बल ग्राम पो0 कुण्डा ने स्वीकार किया रुपया 900/- धनादेश उसे ही मिला है और उसी ने ही दिनांक 14.7.84 को शाहगढ़ ब्रांच में जमा किया है । माना जा सकता है । इस प्रकार शाखा डाकपाल की पूरी जिम्मेदारी है कि प्राप्त कर्ता मिसिर का पुरवा रहने वाले के नाम का धनादेश है तो बद्री प्रसाद पुत्र कुण्डा को क्यों बाँट दिया । असली पाने वाला यादव है और गलत पाने वाला [illegible] इस प्रकार [illegible] ..6/-

~~इस प्रकार~~ इसके गलत वितरण की पूरी जिम्मेदारी शाखा डाक कुण्डा श्री नकछेद सिंह का है उन्हें बांटने से पहले जान लेना चाहिए, पता पढ़ लेना चाहिए परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया अतः शाखा डाकघर नियमावली के नियम 109 का पूर्णतया उल्लंघन किया ।

बीमा पत्र 701 दिनांक 20.1.82 मूल्य रु0 500/- के वितरण के संबंध में श्री राम कुमार सिंह ग्राम पोस्ट कुण्डा के गवाह हैं जैसा कि ~~[illegible]~~ वितरित रसीद पर उनका नाम व पता लिखा है परन्तु अभियोजन पक्ष ने न तो उन्हें गवाह बनाया था और न प्रस्तुत किया इस आधार पर श्री नकछेद सिंह का कहना है कि अभियोजन पक्ष की कार्यवाही अधूरी है सही नहीं मालूम होती है क्योंकि जिस प्रकार पूरन की उन्होंने अपने पर्याप्त गवाह रक्खा था उसी प्रकार [illegible] राम कुमार सिंह को भी रख सकते थे परन्तु नहीं रखा इससे पता चलता है कि उनका नाम भी फर्जी लिख दिया गया ।

इसी प्रकार [illegible] दिनांक [illegible].7.83 रकम रु0 900/- के वितरण के संबंध में श्री नकछेद सिंह का कहना है कि गवाह श्री राम प्रसाद प्रसाद पाण्डेय को प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए अधूरी है यह भी कहना गलत है क्योंकि असली पाने वाला कहता नहीं मिला। काल्पनिक कहता है कि असली प्राप्त कर्ता को धनादेश नहीं दिया गया साथ ही साथ गलत पाने वाला रु0 900/- ता0 14.7.87 जमा कर दिया है जैसा कि स्वयं श्री नकछेद सिंह ने अपने लिखित तर्क में दिया है इस प्रकार अभियोजन पक्ष की कार्यवाही अधूरी नहीं है ।

इस प्रकार जाँच के समय में जो नकछेद सिंह को सफाई देने का पूरा मौका दिया गया । सरकारी प्रस्तोता अधिकारी ने दोनों चार्ज को साबित किया है और [illegible] कर्मचारी और उनके बचाव सहायक ने यह साबित किया कि पहले चार्ज में बीमा श्रीमती पूरन को ही बाँटा गया है और धनादेश गलत वितरित हो गया था उसकी रकम प्रतापगढ़ में जमा कर दी गई है ।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि पहला आरोप पूर्ण-तया साबित है जैसा कि गवाहों और दस्तावेजों से पता चलता है ~~[illegible]~~ परन्तु रसीदों की फोटो स्टेट कापी जो श्री नकछेद सिंह ने दिया है उसकी सत्यता की जाँच करने के बाद ही अन्यथा सोचा जा सकता है। दूसरा आरोप भी साबित है कि असली प्राप्त कर्ता को रुपया नहीं मिला है तथा नहीं [illegible] था । और रुपया [illegible] जाँच में [illegible] है इस प्रकार विभाग को हानि नहीं हुई । [illegible] ।

सत्य प्रति

TRUE COPY
R. K. Tewari
(R. K. Tewari) Advocate

ह0 [illegible] /-
[illegible] पाण्डेय
15-5-87
[illegible] डाक निरीक्षक, प्रतापगढ़
275101

122

Annexure [illegible]

To

The Director Postal Services
Allahabad

Appeal against the order of [illegible] by the learned Supdt. Posts Sultanpur vide [illegible] No. F/Ad-3/84-85/Disc dated 31.3.1987 (Photocopy [illegible])

Sir,

The appellant, [illegible] Singh, [illegible] District Sultanpur begs to lay down the following [illegible] lines for your kind consideration and [illegible]

(1) The appellant was charged for [illegible]

(a) forged delivery of [illegible] No. 781 dt. 23.1.82 for Rs. [illegible]/- to Smt. [illegible] Mali of village [illegible] P.O. [illegible] District Sultanpur and (b) non payment of [illegible] P.O. M.O. No. 3265 dt. 8.7.83 for Rs. [illegible]/- to Shri [illegible] Pd. Yadava r/o [illegible] P.O. [illegible]unda, district Sultanpur.

Notwithstanding the fact that Smt. [illegible] a [illegible] affidavit before the I/O, ~~[illegible] to have correctly received the insured letter~~ to have correctly received the insured letter. Shri [illegible] Postal overseer of [illegible] deposed before the I/O that ~~[illegible]~~ Smt. [illegible] confirmed receipt of the insured letter in question in her statement given before the overseer and above all [illegible] witnessed the delivery of the insured letter [illegible] before the I/O to have done so, the learned Supdt. Posts Sultanpur held the charge as proved on the [illegible] of the preliminary report.

Likewise the M.O. in question was [illegible]

R. Tewari

1720

to Badri Pd. Roonj instead of Badri Pd. Yadava and the error took place because there used to be several R.C's in the name of Badri Roonj, [illegible] none in the name of Badri Yadava. As soon as Badri Roonj was given to understand that the R.C. in question was wrongly paid to him he refunded the money to the government by depositing it in Amarathi P.O. under [illegible] receipt. But the [illegible] [illegible] this charge also is [illegible] [illegible]

~~[illegible]~~ dismissal

<u>[illegible]</u>

It is, humbly prayed th[illegible] [illegible] charge [illegible] enquired by [illegible] of the applicant [illegible] [illegible] effect.

[illegible],

([illegible])

[illegible] 12.9.87

TRUE COPY
(R. N. Tewari Advo.)

Copy to [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

Annexure A IV -21- 5R

सेवा:-

[illegible] प्रमाणित,
[illegible]

[illegible]

॥ [illegible] ॥

मैं [illegible] 30 [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] 1: [illegible] 761, दि० 20-1-82 [illegible]

[illegible] 2: [illegible] -1-82 [illegible]

[illegible] 3: [illegible]

[illegible] 4: [illegible]

[illegible]

मैं [illegible] [illegible] की धारा [illegible]
[illegible]
[illegible]

साक्षी [illegible]

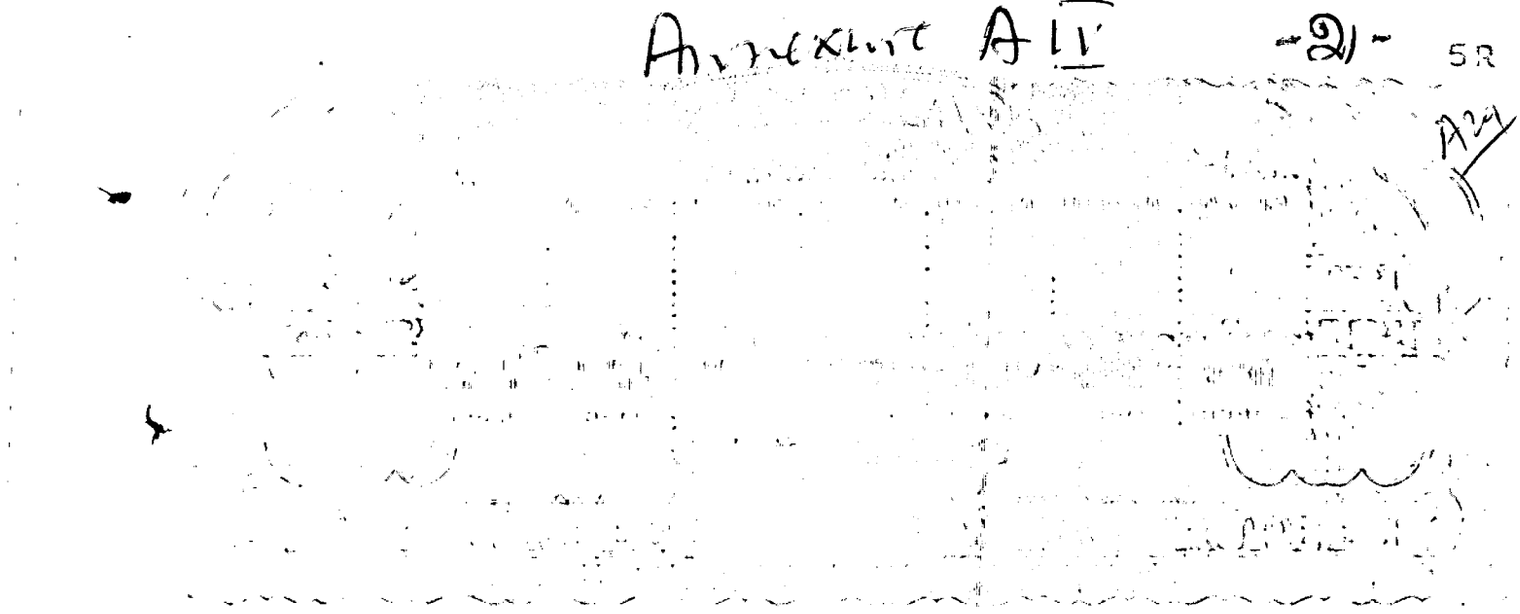

-११-

सूरज काली

मैं सूरजकली को ०११/७११ पहचानता हूँ इन्हो ने मेरे सामने दस्तखत किया। निशानी मिश्र
ग्राम उदपुर
ता० १२-७-८६

I know & identify
Smt. Suraj Kali who
has signed before me.
Jang Bahadur Singh
18/7/86

Photo
TRUE COPY

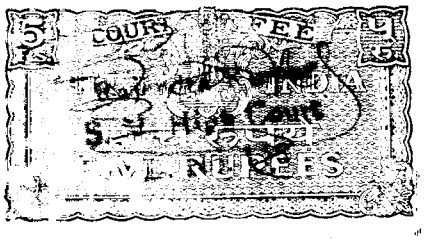

COURT FEE INDIA FIVE RUPEES

वकालतनामा

बअदालत The Central Administrative Tribunal Allahabad

नम्बर मुकदमा O.A. ..... सन् १९ ई०

नम्बर इजारा ..... सन् १९ ई०

मुद्दई

अपीलान्ट

Nihal ..... Singh बनाम U.O.I. .....

मुद्दालेह

मैं ..... रिस्पान्डेन्ट

मैं हम .....

निवासी .....

श्री R.K. Tewari, Advocate 154, Purshottam Nagar, Allahabad-16

को उपरोक्त मुकदमे की पैरवी के लिये मेहनताना अदा करने का वचन देकर मैं / हम अपना वकील नियुक्त करता हूँ / करते हैं। उन वकील महोदय को मैं / हम यह अधिकार देता हूँ / देवें हैं कि वह मुकदमे में मेरी ओर से पैरवी करें आवश्यक सवाल पूछें, जवाब दें और बहस करें दस्तावेज व कागजात अदालत में दाखिल करें, व वापस लेवें पंचनामा उपस्थित करें, पंच नियुक्त करें यदि आवश्यकता हो तो पंच निर्णय का लिखित विरोध करें, सुलहनामा दाखिल करें, दावा स्वीकर करें, उठा लेवें और डिग्री प्राप्त हो जाय तो उसे जारी करावे, डिग्री का रुपया व खर्चा, हर्जाना का रुपया या किसी दूसरे तरह का रुपया व खर्चा, जो अदालत से मुझे / हमें मिलने वाला हो वसूल करें, मेरी / हमारी ओर से अदालत में दाखिल करें, कोर्टफीस व स्टाम्प देवें या वापिस लेवें, रसीद ले लेवें व प्रमाणित करें, नकल प्राप्त करें, अदालत की अनुमति से मिसिल का मुआयना करें, आवश्यकता होने पर मुकदमा स्थापित करावें व इस मुकदमें के सम्बन्ध में दूसरे काम जो जरूरी समझें पैरवी के लिए अपनी ओर से कोई दूसरा वकील नियुक्त करें यदि आवश्यकता हो तो अपील या निगरानी दायर करें और अपील निगरानी की अदालत में पैरवी करें और यह भी वचन देता हूँ / देते हैं कि यदि मैं / हम पूरी फीस या खर्च न अदा करूं / करें तो वकील साहेब व उनके क्लर्क बहस व पैरवी के लिये बाध्य न होंगें।

इस अधिकार पत्र के अनुसार उक्त वकील महोदय इस मुकदमे के सम्बन्ध में जो कुछ काम करेंगे वह सब अदालत में स्वयं मेरा/हमारा किया हुआ समझा जायेगा और वह मुझे/हमें सदैव ही मेरे/हमारे किये के समान सर्वथा मान्य होगा।

तारीख ..... 7th माह December सन् १९87 ई०

स्वीकार है

Accepted

हस्ताक्षर .....

R.K. Tewari

R. K. TEWARI
Advocate
154, Purshottam Nagar
(.....)
Allahabad-16

अदालत	मुकदमा नं०	बनाम	सन् १९

हस्ताक्षर गवाह

A32

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADDITIONAL BENCH : ALLAHABAD.

.....

CIVIL MISC. APPLICATION NO.   OF 1988

IN THE MATTER OF

D.R.M. Allahabad & another.   ...Applicants/ Respondents.

IN

REGISTRATION NO. 1171 OF 1987

Lakhchhed Singh.   ...Applicant

Versus

D.R.M. Allahabad & another.   ...Respondents.

To

The Hon'ble the Vice Chairman and his Companion Members of this Hon'ble Tribunal.

The humble application of the abovenamed most respectfully states as under :

1. That full facts have been given in accompanying counter affidavit.

2- That it is therefore in the interest of justice that the application moved by said Lakhchhed Singh, applicant is rejected by this

Received copy
[illegible]
Advocate
for the applicant
12/1/88

Hon'ble Tribunal.

PRAYER

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to reject the application moved by the applicant, otherwise respondents would suffer irreparable loss.

Dt/-

([illegible])
Addl. Standing Counsel
Central Govt.
Counsel for the Respondents.

A34

1987
AFFIDAVIT
61
HIGH COURT
ALLAHABAD

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADDITIONAL BENCH : ALLAHABAD.

.....

COUNTER AFFIDAVIT

ON BEHALF OF

DIRECTOR OF POSTAL SERVICES,
ALLAHABAD & ANOTHER. ..RESPONDENTS.

In

REGISTRATION NO. 1171 OF 1987

Fakchned Singh. ..Applicant

Versus

D.P.S. Allahabad & another. ..Respondents.

Affidavit of R S Singh

aged about 53 years, s/o Sukhal Singh

Superintendent of Post Offices,

Sultanpur Division Sultanpur.

(Deponent).

I, the deponent abovenamed do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

1- That the deponent is Superintendent Post Offices, Sultanpur Division Sultanpur and been deputed to file this counter affidavit on behalf of respondents and is well conversant

A35

the facts deposed to below.

2- That the contents of the application moved by the applicant have been readover and understood by the deponent and he is in a position to reply the same.

3- That before giving parawise reply to the petition, following facts are being asserted in order to facilitate this Hon'ble Tribunal in administering justice :

a- That the applicant was working as Branch Post Master, Munda on 27th January 1982. The Sub-Post Master Chhahgarh sent an insured letter from [illegible] Ganga Post Office No. 781 booked on 20th January 1982 for Rs. 850/- for delivery to its addressee Sumgjkali Devi daughter of Shri Raghunandan Dubey, r/o village Pach Pedawa, Post-Munda duly entered in Branch Office slip dated 27th January 1982. The applicant acknowledged the receipt of insured letter and entered that in his Branch Office Journal. The insured letter was to be delivered at the window of the Post office, so it was shown to have been delivered by the applicant on 29th January 1982 in his records, being Branch Post-master.

b- That the addressee Suraj Kali Devi's father lodged a complaint on 30th July 1982 that the insured letter has not been delivered to the addressee. A complaint no. C1-4/1-35/5/3 dated 19th August 1982 was also received from the office of the Senior Superintendent of Post Offices, Calcutta West Division regarding non-delivery of insured letter. The cases were given to the Sub-Divisional Inspector Shri C.L. Jaiswal for preliminary enquiries. He examined the Branch office records, signed addressee receipt of insured letter and found that delivered on 29th January 1982. He recorded the statement of addressee Suraj Kali Devi on 22nd February 1984(Ex.Ka.13) and she denied to have received the insured letter upto 22nd February 1984. The statement of scribe Shri Ram Pal Yadava s/o RamBahadur Yadava village Misir Ka Purwa,Post-Kunda was also recorded on 21st February 1984 (Ex-Ka-14). He had denied to have scribed the R.I. of Suraj Kali Devi and has also denied that the insured letter was delivered in his presence. Thus, the applicant was charge-sheeted under Rule 8 of the Extra Departmental Agents(Conduct & Service) Rules,1964 and an enquiry under Rule 8 was got instituted against the applicant.

c- That similarly the applicant while working as Branch Post Master, Kunda, received Kotla Power House Money Order No.3265 dated 8th July 1983 for Rs. 900/- in his office on 14th July 1983, duly entered in Branch Office slip. The money order was payable to Shri Badri Prasad Yadava r/o Misir Ka Purwa. He entered the money order particulars in his Branch Office journal and showed the money order to have been paid to the payee on 15th July 1983 in his records. The payee Shri Badri Prasad Yadava lodged a complaint dated 13th February 1984 that he had not received the payment of money order upto that day even if he had contacted the Branch Post Master, i.e. theapplicant on several occasions. This case was also forwarded to the Sub-Divisional Inspector of Post Offices for preliminary enquiries. The payee in his written statement dated 21.2.1984, has denied to have received the payment of money order even upto 21.2.1984 and has disowned his thumb impression on money order paid voucher. Therefore, the applicant was charge sheeted under the EDA(C & S) Rules, 1964 and an enquiry under rule 8 of the Rules was ordered against him.

d- That on conclusion of enquiry under Rule 8 of the Rules, charges were proved and the applicant was dismissed.

4- That the contents of paragraphs 1, 2, 3, 4, and 5 of theapplication need no comments being matters of record.

5- That the contents of paragraph 6(i) of the application are not disputed.

6- That the contents of paragraphs 6(i)(a) and 6(i)(b) of the application are matter of record as the facts are mentioned in the charge sheet,hence need no comments.

7- That the contents of paragraph 6(ii) of the application are not disputed.

8- That in reply to contents of paragraph 6(iii) of the application, it is submitted that no advance copy of any appeal has been received in the office of the Disciplinary Authority, i.e. the Superintendent of Post Offices, Sultanpur nor the Disciplinary Authority has got any knowledge of submitting any appeal to the Appellate Authority, i.e. the Director Postal Services, Allahabad Region Allahabad.

9- That in reply to contents of paragraph 6(iv) of the application, it is submitted that the addressee Srimati Suraj Kali Devi had clearly

deposed in the preliminary enquiries, that the insured letter was not delivered to her even upto 22nd February 1984 although its delivery in Kunda Branch Post Office records were shown long back, i.e. on29th January 1982. She was summoned during course of enquiry under Rule 8 as S.W. but she avoided to appear as S.W. However, she was won by the applicant at later stage. However, under applicant's presence, she didnot appear as defence witness during Rule 8 enquiry on several notice. In the last she was produced by the State to depose the facts whatever, she could depose independently on 30th May 1986. She clearly stated that the amount of insured letter was paid to her father at a very late stage. She admitted her all previous statements and asserted that facts written therein were correct, as per her knowledge. However, she could not state the date of transfer to money to her father. She also denied the receipt of insured letter in presence of any Ram Lal of Misirpur. She also did not know any Ram Kripal Singh. No insured letter was delivered to her on 29.1.1982 in presence of any such scribe or identifier. During her this statement under enquiry of Rule 8, the applicant, his defence nominee were present and they did not cross-examine

her even if they attested the statement. The scribe has also confirmed his previous statement recorded during course of preliminary enquiry as correct although deposed something else durigg enquiry under Rule 8, under applicant's pressure. Thereafter any affidavit filed during rule 8 enquiry, in view of above facts, has got no bearing on the merit of the case.

10- That the contents of paragraph 6(v) of the application are not correct and as subh are denied. The statement recorded by the Inspector of Post Offices, is more reliable than the state ent if any recorded by his subordinate that too on a later date under the applicant's pressure.

11- That in reply to contents of paragraph 6(vi) of the application, it is submitted that Shri [illegible] Lal Yadava has clearly admitted his statement recorded during course of preliminary enquiry and could not state any reason for changed statement during Rule-8 enquiry so credential was placed on his first natural statement than that deposed under applicant's pressure.

12- That in reply to contents of paragraph 6(vii) of the application, it is submitted that

inpara under reply the applicant clearly admits that the money order was paid to another person of same name but of other caste. While in the original money order it is clearly mentioned by the remitter that the money order was payable to Shri Badri Prasad Yadava and not to Badri Prasad Bhoonj. The money order paid voucher also does not bear the text of the scribe that .I.obtained on money order paid voucher is of Shri Badri Prasad Bhoonj. So the applicant concocted a theory and himself credited the amount on 14.7.1984. Actually by that time, the enquiries regarding non-payment and misappropriation of the amount were started, so the applicant evolved a story to save him from the charge. Since the money order was paid on 15.7.1983, the Branch Post Master could have detected the wrong payment much earlier from his records. Had the case been so and there would have been no complaint on 11.2.1984. In view of above facts the contents of application are denied and the dismissal of the applicant is valid on merit for his misconduct and no relief is admissible to the applicant.

13- That in reply to contents of paragraph 7

of the application, it is submitted that since the applicant has failed to make out a prima facie case in its favour, and as such the relief prayed as Reliefs 7(i),7(ii) and 7(iii) are liable to be rejected.

14- That the contents of paragraphs 8, 9, 10, 11,12 and 13 of the application need no comments.

That the contents of paras 1,2 — of this affidavit are true to my personal knowledge; those of paras 3 to 14 are based on perusal of records; and those of paras — are based on informations and those of paras — are based on legal advice, which all I believe to be true. No part of it is false and nothing material has been concealed in it.

So help me God.

DEPONENT.

I, ... Chaubey, clerk to Shri R.C.Sinha Advocate, declare that the person making this affidavit and alleging himself to be the depon is known to me personally.

Solemnly affirmed before me on this 16th day of January 1988 at 6.00 pm by the deponent, who is identified by aforesaid.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read over and explained to him.

... Contd...

R.Shukla

61/717
16/1/88

A44

Before the Central Administrative Tribunal, Allahabad-1.

O.A. Registration No. 1171 of 1987.

Nakchhed Singh . . . . . . Versus- - - Union of India & Others.

REJOINDER TO

The Reply Affidavit filed by the learned Respondents.

The Applicant who is fully acquainted with the facts of this case begs to state as under :-

1-- Paras 1 to 3 need no comment.

2-- Para 4 denied. The Insured letter had correctly been delivered by the applicant to its addressee Smt. Suraj Kali who has confirmed this fact in the Notary affidavit submitted before the I/O.

3-- Para 4(c). The applicant has already admitted the fact that the amount of M.O. in question was delivered to another man of the same name as the payee. As soon as the wrong payment came to notice the amount was got credited to Government account under ~~identified~~ unclassified receipts.

4-- Para 8--. In reply, it is submitted that the applicant had duly sent the advance copy of the appeal to the superintendent Posts, Sultanpur under ordinary Post.

5-- Para 9. In reply it is submitted that the addressee of the Insured letter Smt. Suraj Kali has duly confirmed in the Notary affidavit submitted by her to the I/O that she had correctly received the insured letter in question. On the face of this affidavit the uncrossed statement given

Recd copy 29/3

Rn Jaiswal

A46

District: Sultanpur do hereby verify that the contents of 1 to 9 are true to my personal knowledge and belief & nothing material has been concealed.

Dated: 28-3-1988

Rajoindorist.

R. K. TEWARI

in the preliminary enquiry is not worth reliance.

6- Para 10. The applicant reiterrates to what he has said earlier in par 6(v) of his application. Shri Bahu Ram Overseer belongs to Administration as such his statement given before the I/O has to be given weightage.

7- Para 11. The contents of this para are emphatically denied. The scribe Shri Ram Lal Yadav has controverted his earlier statement given in the preliminary enquiry during the ~~course~~ course of his cross-examination before the I/O.

8- Para 12- In reply it is submitted that in villages people(especially belonging to lower Caste) do not write their cast against their name BadriPrasad Yadava and Badri Prasad Moonj both wrote their ~~x~~ names as Badri Prasad. Moreover Badri Prasad Moonj used to get much more MOs than Badri Prasad Yadava did and therefore the misdelivery took place. The money wrongly paid was immediately got credited to the Government as soon as the error came to notice.

9- Para 13.- denied. The respondents have miserably failed to controvert the allegations made by the applicant as such he fully deserves to get the reliefs sought for.

In Verification.

I, Nakchhed Singh, Son of Sri Narendra Singh, aged 33 years, R/c Village and Post Office Minda,

Rnatewing

A46

-3-

verify

District: Sultanpur do hereby verify that the contents of 1 to 9 are true to my personal knowledge and belief & nothing material has been concealed.

Dated: 28-3-1988

Rejoindarist.

E. K. TEWARI

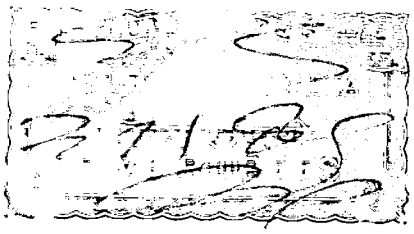

884

वकालतनामा

हाईकोर्ट ऑफ जूडिकेचर एट इलाहाबाद

इलाहाबाद

रिट अपील / निगरानी ———— नम्बर .... सन् १९.... जिला

.... वादी प्रतिवादी

अपीलान्ट

बनाम

.... वादी प्रतिवादी

रेस्पान्डेन्ट

मैं / हम ——— कि ....

....

उपरोक्त प्रकरण — मैं / हम — अपनी ओर के पक्ष समर्थन के हेतु .... Advocate

श्री .... , एडवोकेट

....

को उपरोक्त मुकदमे की पैरवी के लिये मेहनताना अदा करने का वचन देकर मैं अपना वकील नियुक्त करता हूँ/करते हैं उक्त वकील महोदय को मैं/हम यह अधिकार देता हूँ/देते हैं कि इस मुकदमें में वह मेरी ओर से पैरवी आवश्यक सवाल पूछें जवाब दें, और बहस करें। दस्तावेज का कागज अदालत में दाखिल करें व वापिस लें। पंचनामा उपस्थित करें पंच नियुक्त करें यदि आवश्यक हो तो पंच के निर्णय का लिखित विरोध करें सुलहनामा दाखिल करें दावा स्वीकार करें या उठा लेवें और डिग्री प्राप्त हो जाय तो उसे जारी करावें, डिग्री का रुपया व खर्चा व हरजाने का रुपया व किसी तरह का रुपया जो अदालत से मुझे/हमें मिलने वाला हो तो वसूल करें। मेरी/हमारी ओर से अदालत में दाखिल करें। कोर्ट फीस व स्टाम्प दें या वापिस लेवें रसीद लेवें व प्रमाणित करें। नकल प्राप्त करें अदालत की अनुमति से मिसिल का मुआइना करें आवश्यकता होने पर मुकदमा स्थापित करावें व मुकदमें के सम्बन्ध में दूसरे काम काज जो जरूरी समझें करें पैरवी के लिये अपनी ओर से कोई दूसरा वकील नियुक्त करें यदि आवश्यकता हो तो अपील या निगरानी दायर करें और अपील या निगरानी अदालत में पैरवी करें।

इस अधिकार पत्र के अनुसार उक्त वकील महोदय इस मुकदमें के सम्बन्ध में जो कुछ काम करेंगे वह सब अदालत में स्वयं मेरा/हमारा किया हुआ समझा जायेगा और वह मुझे/हमें अपने ही किये के समान/सर्वथा मान्य होगा।

तारीख 31 माह Jan सन् १९....

स्वीकार है।

Registered A/D

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW.

Ghandi Bhawan
Opp. Residency
Lucknow.

Registration O.A./ No. 142/90 199 .

No.CAT/Alld/Jud/

Dated:
Dated: 10/5/90

Chandra Kumar Pandey ...... APPLICANT(S)

VERSUS

Union of India and Others RESPONDENT(S)

(i) U.O.I. through the General Manager N.R. Baroda House N
(ii) Dy Controller of Stores, N. R. Alambagh Lucknow
(iii) Mahadev Lal office of the Dy. Controller of Stores N R Alambag
(iv) Krishna Kumar Sharma, office of the Director, Controller of the Stores N Rly. Alambagh Lko

Please take notice that the applicant above named has represented an application a copy of whereof is enclosed herewith has been fixed registered in this Tribunal and the Tribunal has fixed 5-7-90 day of 1990. FOR Order

If, no appearance is made on your behalf, your pleader or by some one duly authorised to Act and Plead on your behalf in the said application, It will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal this 10 day of 5 1990.

FOR DEPUTY REGISTRAR
(JUDICIAL)

(5) Sudhir Kumar office of the Director Controller of Stores N Rly Alambagh Lucknow

(6) Ram Tahal Tiwari office of the Dy Controller of Stores N Rly. Alambagh Lko

Housila Pd. Singh office of the Dy. Controller of Stores N. Rly Alam

(8) Girja Sankar Asstt Supdt. Ticket Printing and Stationary N Rly Alambagh Lucknow

(9) Sunil Kumar Srivastava office of the Dy. Controller of Stores N Lucknow

886

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH : LUCKNOW
Opp. Residency Gandhi Bhavan, Lucknow.

751
2/4/92

No. CAT/CL/LC/JULL/ TA.62/92 TL in

Date :

REGISTRATION NO 1171/87 OF ~~1991/92 (1)~~

Makhthed Singh Applicant.

VERSUS

D.P.S. Allahabad & others Respondents.

To Sri R.K. Tewari, Advocate,
154, Purshottam Nagar,
Allahabad - 16

Please take notice that the applicant above named has presented an application a copy ______ thereof is enclosed herewith which has been registred in this Tribunal and the Tribunal has fixed 27 day of May, 1992 for hearing.

If no appearance is made on your behalf, your pleader or by some one duly authorised to Act and plead on your behalf in the said application, it will be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of the Tribunal this 01 day of April 1992

For Deputy Registrar.

M.Panda./

O/C

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH

Regd. A/D
~~23-A, Thornhill Road~~
~~Allahabad. 211 001~~

Registration O.A. No. 140 of 1990 (91)

No. CAT/Alld/Jud

.... Applicant(s)

Versus

.... Respondent(s)

Please take notice that the applicant above named has presented an Application a copy of whereof is enclosed herewith which has been registered in this Tribunal and the Tribunal has fixed 27 Day of 3/91 . For.

If, no appearance ismade on your behalf, your pleader of ny sone one duly authorised to Act and plead on your behalf in the said application, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal this 14 Day of 1990

For ~~Deputy~~ Registrat
(Judicial)

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH LUCKNOW.

O.A.NO. 148 of 1990(L)

C.K.Pandey ...... Applicant

Versus

Union of India ...... Respondents

Hon'ble Mr.Justice K.Nath, V.C.
~~Hon'ble Mr.K.Obayya, A.M.~~

Dated: 7.2.1991.

Notices issuedto respondents 1 to 10, 12 to 16 & 18 to 29 are presumed served. No reply has been filed. Notices issued to respondents 11 & 17 have not been served. Office will re-issue notices to them and list before D.R. on 27.3.91 for fixing a date if possible, after completion of pleadings.

Sd/- Sd/-
A.M. V.C.

// True copy //

AK 21/2/91
SO

R.S.M.